उद्योगों का बैट्री लिमिट पारिभाषित करने हेतु पर्षद् मंडल की दिनांक–25.03.2022 को आयोजित 112वीं बैठक की कार्यावली संख्या–4 में लिये गये निर्णय के आलोक में अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की अध्यक्षता में पर्षद् अधिसूचना संख्या–27, दिनांक–26.10.2022 द्वारा गठित समिति की दिनांक–01.11.2022 को आहूत बैठक का वृत्त।

उद्योगों का बैट्री लिमिट पारिभाषित करने हेतु पर्षद् मंडल की दिनांक–25.03.2022 को आयोजित 112वीं बैठक की कार्यावली संख्या–4 में लिये गये निर्णय के आलोक में अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की अध्यक्षता में पर्षद् अधिसूचना संख्या–27, दिनांक–26.10.2022 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक–01.11.2022 को आयोजित की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न।**

डॉ. अशोक कुमार घोष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा विषयवस्तु पर सदस्यों का मंतव्य देने का निदेश दिया गया।

तदुपरान्त, श्री एस. चन्द्रशेखर, भा.व.से., सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा बैठक की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने सूचित किया कि उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक है कि उद्योग, उचित स्थान पर स्थापित किया जाये। पर्षद् द्वारा उद्योगों के स्थापनार्थ स्थल चयन हेतु पूर्व से गाइडलाईन्स प्रकाशित है। इसके अनुसार उद्योगों के बैट्री लिमिट की आबादी, रेलवे लाईन, राष्ट्रीय उच्च पथ/राजकीय उच्च पथ, नदी आदि से न्यूनतम दूरी निर्धारित है। उपरोक्त ***गाइडलाईन्स में उद्योगों के बैट्री लिमिट का तात्पर्य उस उद्योग के प्रदूषण स्रोत बिन्दु (यथा ब्यायलर/फरनेश से जुड़ी चिमनी जहाँ से उत्सर्जन या मुख्य प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ से बहिस्राव जनन की संभावना होती है) से हैं।***

इस संदर्भ में विमर्शोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

1. उद्योगों का बैट्री लिमिट का तात्पर्य उद्योग विशेष के परिसर के अंदर का वह इकाई क्षेत्र/स्थल जहाँ उत्सर्जन का मुख्य स्रोत ***(यथा ब्यायलर/फरनेश से जुड़ी चिमनी जहाँ से उत्सर्जन) या मुख्य प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ से बहिस्राव जनन या अन्य प्रदूषण की संभावना होती है, से होगा।***
2. विभिन्न उद्योगों की बैट्री लिमिट उनके अंदर होने वाले प्रोसेसिंग, उत्सर्जन बिन्दु, बहिस्राव जनन इकाई आदि को ध्यान में रखते हुए भिन्न–भिन्न हो सकती है। तदनुसार, विभिन्न उद्योगों की बैट्री लिमिट निम्नवत् निर्धारित की जाती है, जहाँ से उद्योगों के स्थापनार्थ न्यूनतम दूरी का आकलन की जा सकेगीः–

3.

Sl. No.	Industrial Sector	Battery Limit
1.	Sugar Mill	Stack attached with Boiler, Crushing Mill and Processing House (Boiling House).
2.	Distillery (Molasses/Grain Based)	Stack attached with Boiler, Fermentation & Distillation Unit.
3.	Thermal Power Plant	Stack attached with Boiler.
4.	Oil Refinery	Periphery of the Plant.
5.	Stone crusher	Crusher Unit.
6.	Par-Boiled Rice Mill (Usna)	Stack attached with Boiler and de-husking & Rice Husk Storage Unit.
7.	Pre-Boiled Rice Mill (Arba)	De-husking & Rice Husk Storage Unit.
8.	Brick Kiln	Stack attached with Brick Kiln.
9.	Mining	Periphery of Mining Area/ Lease Area.
10.	Slaughter House	Periphery of the Plant.
11.	TSDF (Treatment, Storage and Disposal Facility) for Hazardous Waste	Periphery of the Plant.
12.	CBWTF (Common Bio-Medical Waste Treatment Facility)	Periphery of the Plant.
13.	Others	As per decision/approval of the Chairman, BSPCB.

ह0/–
(अशोक कुमार घोष)
अध्यक्ष,

ज्ञापांकः– 3101. पटना, दिनांकः– 22/11/22
प्रतिलिपिः–सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/22
(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव